



शासकीय नवीन महाविद्यालयसोनहत, कोरिया (छ.ग.)  
(Affiliated to Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya Sarguja Ambikapur (C.G.)  
Govt. Naveen College Sonhat, Korea (C.G.)

College AISHE code -49145 Email- [gncollege.sonhat@gmail.com](mailto:gncollege.sonhat@gmail.com) website-[govtnaveencollegesonhat.edu.in](http://govtnaveencollegesonhat.edu.in)

---

### Information of enclosures

Respected Sir/Madam,

It is to be informed that admission guidelines are issued by the Department of Higher Education in the Hindi language only and its official English version is not available. For the NAAC purpose, It's translation regarding the reservation is being made available.

Following are the attachments

1. Translation of reservation guidelines.
2. Certification of reserved seats year-wise. (sheet 1&2)
3. Final admission list of first year students indicating their category.
4. Original departmental admission guidelines (Hindi) for 2021-22. Reservation policy has remained unchanged during the assessment period. **Page no. 11 in pdf.**

PRINCIPAL  
Govt. Naveen College  
Sonhat Korea C.G.

Note- Sir/Madam, Majority of the students in this area belong to ST and OBC category so there actual number exceeds than the reserved seats and they are provided admission on general seat following the admission guidelines.



शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनहत, कोरिया (छ.ग.)  
(Affiliated to Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya Sarguja Ambikapur (C.G.)  
Govt. Naveen College Sonhat, Korea (C.G.)

College AISHE code -49145 Email- [pncollege.sonhat@gmail.com](mailto:pncollege.sonhat@gmail.com) website-[govtnaveencollegesonhat.edu.in](http://govtnaveencollegesonhat.edu.in)

**Translation of page 11 pdf of admission guidelines Hindi  
margdarshika**

**Reservation will be as per the reservation policy of Chhattisgarh Government  
as follows**

12.1 The reservation of seats in admission in each academic session and its extent in any educational institution shall be in the following manner.

(a) 32 percent of the annual licensed strength in each branch of study or faculty shall be reserved for the Scheduled Tribes.

(b) 12 per cent of the annual licensed strength in each branch of study or faculty shall be reserved for the Scheduled Castes.

(c) Out of the annual licensed strength in each branch of study or faculty, 14 percent seats shall be reserved for OBCs. Provided that where vacant seats belonging to Scheduled Tribes as well as Scheduled Castes/Other Backward Classes are also given admission to eligible applicants in the reverse order. If the reserved seats remain vacant on the last dates due to non-availability of eligible students, it will be filled from the students in the reverse order.

Provided further that where even after the arrangement specified in the foregoing provision, the seats reserved under clauses a, b and c remain vacant on the last dates, they shall be filled from other eligible students.

  
PRINCIPAL  
Govt. Naveen College  
Sonhat Korea C.G.



शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनहत,कोरिया(छ.ग.)

(Affiliated to Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya Sarguja Ambikapur (C.G.)

Govt. Naveen College Sonhat, Korea (C.G.)

College AISHE code -49145

Email- gncollege\_sonhat@gmail.com website- govtnaveencollegesonhat.edu.in

### CERTIFICATION OF STUDENTS RESERVATION

This is to certify that following number of seats are reserved for the SC/ST/OBC students in every program for first year students.

No. of seats program wise/year wise

B.A., B.SC, B.Com. – 60

s. no.	Category	Reservation %	Total seat allotted
1.	GEN	-	23
2.	OBC	14	09
3.	ST	32	19
4.	SC	12	07
5.	Others	3	02

s.no.	Program	Total No. of seat reserved
1	B.A.	37
2	B.Sc.	37
3	B.Com.	37
	Total seats reserved	111

Encl-

1. Admission guidelines for each year during assessment period (2017-18 to 2021-22)

*AE*  
PRINCIPAL  
Govt. Naveen College  
Sonhat Korea C.G.



# शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनहत, कोरिया (छ.ग.)

(Affiliated to Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya Sarguja Ambikapur (C.G.)

Govt. Naveen College Sonhat, Korea (C.G.)

College AISHE code -49145 Email- [gncollege.sonhat@gmail.com](mailto:gncollege.sonhat@gmail.com) website-[govtnaveencollegesonhat.edu.in](http://govtnaveencollegesonhat.edu.in)

## Certification of reserved seats

Session 2021-22			
S. no.	Program	Intake capacity	Reserved seats
1.	B.A.	60	37
2.	B.SC.	60	37
3.	B.COM.	60	37
TOTAL		180	111

Session 2020-21			
S. no.	Program	Intake capacity	Reserved seats
1.	B.A.	60	37
2.	B.SC.	60	37
3.	B.COM.	60	37
TOTAL		180	111

Session 2019-20			
S. no.	Program	Intake capacity	Reserved seats
1.	B.A.	60	37
2.	B.SC.	60	37
3.	B.COM.	60	37
TOTAL		180	111

Session 2018-19			
S. no.	Program	Intake capacity	Reserved seats
1.	B.A.	60	37
2.	B.SC.	60	37
3.	B.COM.	60	37
TOTAL		180	111

Session 2017-18			
S. no.	Program	Intake capacity	Reserved seats
1.	B.A.	60	37
2.	B.SC.	60	37
3.	B.COM.	60	37
TOTAL		180	111

*A.G.*  
PRINCIPAL  
Govt. Naveen College  
Sonhat Korea C.G.



शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनहत, कोरिया (छ.ग.)  
(Affiliated to Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya Sarguja Ambikapur (C.G.)  
Govt. Naveen College Sonhat, Korea (C.G.)

College AISHE code -49145 Email- [gncollege.sonhat@gmail.com](mailto:gncollege.sonhat@gmail.com) website-[govtnaveencollegesonhat.edu.in](http://govtnaveencollegesonhat.edu.in)

Session		
Program	Reserved Seats	Admission against reserved seat
B.A./B.SC./B.COM.	111	79

Session		
Program	Reserved Seats	Admission against reserved seat
B.A./B.SC./B.COM.	111	60

Session		
Program	Reserved Seats	Admission against reserved seat
B.A./B.SC./B.COM.	111	60

Session		
Program	Reserved Seats	Admission against reserved seat
B.A./B.SC./B.COM.	111	51

Session		
Program	Reserved Seats	Admission against reserved seat
B.A./B.SC./B.COM.	111	60

  
PRINCIPAL  
Govt. Naveen College  
Sonhat Korea C.G.

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग



**2021-22**

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2021-22

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:मंत्रालय:  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
जिला-रायपुर

No.: L-201	22	1145
AD (K)	JDI	DD
Section	अध्यक्ष	
Date	5 JUL 2021	C.H.F.

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021  
प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर अटल नगर,  
रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश  
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।  
संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06.  
2021

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।  
2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के  
लिये शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति  
संलग्न प्रेषित है।  
कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए  
मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का  
कष्ट करें।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

समन्वय

P. L. J.  
03/07/2021

## छत्तीसगढ़ शासन

## उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर  
कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2021-22

## 1. प्रयुक्ति :-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

## 2. प्रवेश की तिथि :-

## 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संरक्षक के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।


## 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के

तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस (भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी।

परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कड़िका 5

(क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा



किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

**स्पष्टीकरण :-**

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-**  
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :-**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपने प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

## प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

## 5. प्रवेश की पात्रता :-

### 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केंद्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के

विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

#### 5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों में प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

#### 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम -  
1 स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।


5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाह्न में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेंडरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय सघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा परीक्षाएं संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।



वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सी.सी.एन.ए.एस.क्यू.एफ.) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि निम्न समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।”

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-

प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किस्म भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तब महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-
  - 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
  - 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
  - 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
  - 8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
  - 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य दिनांक जावेगा।
9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-
  - 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
  - 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वतः दुर्व्यवहार/भारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।



महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/सि-  
आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत  
प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निर-  
किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय  
महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

**प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-**

- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु  
के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के  
जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश  
निर्धारित अधिकतम आयु सीमा **27 वर्ष** मान्य की जाएगी। बी.पी.एड.एव एम.पी.एड. के  
लिए निर्धारित आयु सीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।
- (ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय,  
तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत  
सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन  
हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर  
अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम  
सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग/मा-  
आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/आवेदकों के  
लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में  
लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि  
उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्त  
अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक  
पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-**
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार  
देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (ख) बाध स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान है  
विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

## प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तिक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वायत्त विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् -

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टिकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रीय आरक्षण प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षित रहेंगे।

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे। आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी जानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत  $1/2$  से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा,  $1/2$  प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

कडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कडिका 129(3) में निर्देश दिया गया है कि— "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तियों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर सर्वोच्च अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेजर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

- (ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
- (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 04 प्रतिशत
- (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
- (छ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत
- (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
- (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट 10 प्रतिशत
- (य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट 10 प्रतिशत
- (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-


(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त 15 प्रतिशत



- करने वाले को
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

- 13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- (क) छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल सघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

- 13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैंडेडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरे बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रार्थना करने वाले विद्यार्थियों का उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिष्कार



**आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय  
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर (छ.ग.)**

क्रमांक 97 / आउशि / ब.योजना / 2013  
प्रति,

रायपुर दिनांक 20/5/13

✓ प्राचार्य,  
शासकीय पी.जी.महाविद्यालय बैकुण्ठपुर  
कोरिया (छ.ग.)

**विषय:-** सोनहत जिला-कोरिया में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने बाबत ।  
**संदर्भ:-** छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 1728/एफ 3-42/ 2013/ 38-1  
रायपुर, दिनांक 09.05.2013

---000---

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार सोनहत में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है । महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय चालू शैक्षणिक सत्र 2013-14 में प्रारंभ करने हेतु कुल 19 पदों के सृजन की स्वीकृति वित्त विभाग की यू.ओ. क्रमांक 195/2013-38-00021/वित्त विभाग/ब-3/2013 दिनांक 07.05.2013 द्वारा सहमति प्रदान की गई है । उक्त पदों का वर्गीकरण विवरण निम्नानुसार है :-

क	पदनाम	पदसंख्या	वेतनमान
<b>शैक्षणिक पद</b>			
1	प्राचार्य	01	37400-67000 AGP रु 10000+ 2000 विशेष वेतन
2	सहायक प्राध्यापक	03	15600-39100 AGP रु 6000
	(अ) विज्ञान संकाय (बायो) (रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र)		
	(ब) कला संकाय (हिन्दी अंग्रेजी समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र)	05	15600-39100 AGP रु 6000
	(स) वाणिज्य संकाय सभी अनिवार्य विषय	02	15600-39100 AGP रु 6000
<b>अशैक्षणिक पद</b>			
3	सहायक ग्रेड-1	01	5200-20200 AGP रु 2800
4	सहायक ग्रेड-2	01	5200-20200 AGP रु 2400
5	सहायक ग्रेड-3	01	5200-20200 AGP रु 1900
6	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	5200-20200 AGP रु 2400
	भृत्य	02	4750-7440 AGP रु 1300

उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 मांग संख्या -41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना --2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना-(103) सरकारी कालेज और संस्थाएं - (798)-कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।  
प्रत्येक संकाय में 60 सीट की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

  
संयुक्त संचालक (के)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)



# शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनहत, कोरिया (छ.ग.)

(Affiliated to Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya Sarguja Ambikapur (C.G.))

## Govt. Naveen College Sonhat, Korea (C.G.)

College AISHE code -49145 Email- [gncollege.sonhat@gmail.com](mailto:gncollege.sonhat@gmail.com) website-[govtnaveencollegesonhat.edu.in](http://govtnaveencollegesonhat.edu.in)

### Information of first year students with category

LIST OF ADMITTED STUDENTS FIRST YEAR 2021-22 WITH CATEGORY			
PROGRAM NAME - B.A.			
S.NO	STUDENT NAME	CLASS	Category
1	Sareeta	B.A. 1	ST
2	Alamuddin	B.A. 1	GEN
3	Amresh kumar .	B.A. 1	OBC
4	Rakesh kumar	B.A. 1	SC
5	Dudheshwar	B.A. 1	SC
6	Nitu kumari	B.A. 1	ST
7	Anju	B.A. 1	ST
8	Bimla paikra	B.A. 1	ST
9	Kalita	B.A. 1	GEN
10	Mamta	B.A. 1	ST
11	Prem lata	B.A. 1	OBC
12	Amit kumar	B.A. 1	GEN
13	Gunja	B.A. 1	ST
14	Lalita	B.A. 1	ST
15	Madhumala	B.A. 1	OBC
16	Sonmati	B.A. 1	ST
17	Sumit kumar	B.A. 1	GEN
18	Ajeet kumar	B.A. 1	SC
19	Durgawati	B.A. 1	OBC
20	Shiv kumar	B.A. 1	ST
21	Vinod kumar	B.A. 1	ST

22	Sushila	B.A. 1	OBC
23	Savitree sahu	B.A. 1	OBC
24	Mahendra kumar sonpakar	B.A. 1	GEN
25	Parmeshwar	B.A. 1	SC
26	Sarita	B.A. 1	OBC
27	Subhash kumar	B.A. 1	ST
28	Reeta	B.A. 1	ST
29	Priyanshu tripathi	B.A. 1	GEN
30	Sunita	B.A. 1	ST
31	Anil kumar	B.A. 1	OBC
32	Suman	B.A. 1	ST
33	Sandeep kumar	B.A. 1	OBC
34	Pintu kumar	B.A. 1	OBC
35	Savita	B.A. 1	ST
36	Ursh	B.A. 1	OBC
37	Meena singh	B.A. 1	ST
38	Bhupendra kumar	B.A. 1	OBC
39	Vikash kumar	B.A. 1	OBC
40	Uday kumar singh	B.A. 1	ST
41	Vinay kumar	B.A. 1	OBC
42	Anita	B.A. 1	ST
43	Tikesh kumar	B.A. 1	OBC
44	Vijay pratap singh	B.A. 1	ST
45	Raju kumar	B.A. 1	OBC
46	Pankaj kumar	B.A. 1	OBC
47	Prahlad kumar sahu	B.A. 1	OBC
48	Rajwanti	B.A. 1	ST
49	Satya narayan	B.A. 1	OBC
50	Usha rajwade	B.A. 1	OBC
51	Kriti	B.A. 1	OBC
52	Sakila	B.A. 1	OBC

53	Sadhna	B.A. 1	OBC
54	Santosh kumar	B.A. 1	ST
55	Chanda	B.A. 1	OBC
56	Sangeeta	B.A. 1	OBC
57	Mohit kumar	B.A. 1	SC
58	Sulendra kumar	B.A. 1	OBC
59	Dipesh pratap singh	B.A. 1	GEN
60	Vikash kumar rajwade	B.A. 1	OBC

  
PRINCIPAL  
Govt. Naveen College  
Sorhat Korea C.G.

**LIST OF ADMITTED STUDENTS FIRST YEAR 2021-22**  
**PROGRAM NAME - B.SC.**

1	Arti sahu	B.Sc. 1	OBC
2	Anamika	B.Sc. 1	OBC
3	Nita	B.Sc. 1	GEN
4	Leelawati	B.Sc. 1	OBC
5	Seema	B.Sc. 1	ST
6	Rupan kumari	B.Sc. 1	OBC
7	Aasha	B.Sc. 1	SC
8	Pushpa kumari paikra	B.Sc. 1	ST
9	Babita	B.Sc. 1	OBC
10	Kusum singh	B.Sc. 1	ST
11	Rajendra kumar	B.Sc. 1	OBC
12	Divya	B.Sc. 1	OBC
13	Sangeeta yadav	B.Sc. 1	OBC
14	Pooja	B.Sc. 1	ST
15	Ramesh kumar rajwade	B.Sc. 1	OBC
16	Vishnu kumar	B.Sc. 1	ST
17	Priyanka sonwani	B.Sc. 1	SC
18	Hemlata	B.Sc. 1	ST
19	Mamta singh	B.Sc. 1	ST
20	Priyanka	B.Sc. 1	ST
21	Deep kumar	B.Sc. 1	ST
22	Suman chaudhary	B.Sc. 1	SC
23	Sunita rajwade	B.Sc. 1	OBC
24	Pramila	B.Sc. 1	ST
25	Geeta	B.Sc. 1	OBC
26	Devendra singh	B.Sc. 1	ST
27	Pushpa sahu	B.Sc. 1	OBC
28	Anita	B.Sc. 1	ST
29	Babita ravi	B.Sc. 1	SC

30	Reeta	B.Sc. 1	ST
31	Manoj singh	B.Sc. 1	ST
32	Preeti	B.Sc. 1	ST
33	Arun kumar	B.Sc. 1	GEN
34	Hemlata	B.Sc. 1	OBC
35	Chintamani	B.Sc. 1	OBC
36	Urmila sahu	B.Sc. 1	OBC
37	Chandrakali	B.Sc. 1	ST
38	Sunil kumar	B.Sc. 1	OBC
39	Kalawati	B.Sc. 1	ST
40	Kantikala	B.Sc. 1	ST
41	Anupa	B.Sc. 1	OBC
42	Khushbu yadav	B.Sc. 1	OBC
43	Nagandra singh	B.Sc. 1	ST
44	Nishu sonwani	B.Sc. 1	SC
45	Rajkumari	B.Sc. 1	ST
46	Aman kumar	B.Sc. 1	OBC
47	Lalchand lakra	B.Sc. 1	ST
48	Bhupendra kumar	B.Sc. 1	OBC
49	Chandra wati	B.Sc. 1	ST
50	Anish kumar	B.Sc. 1	ST
51	Mukesh kumar	B.Sc. 1	SC
52	Pushpa sahu	B.Sc. 1	OBC
53	Parmeshwar	B.Sc. 1	ST
54	Varsha jaiswal	B.Sc. 1	OBC
55	Priya sahu	B.Sc. 1	OBC
56	Kajal choudhary	B.Sc. 1	SC
57	Komal choudhary	B.Sc. 1	SC

**LIST OF ADMITTED STUDENTS FIRST YEAR 2021-22**  
**PROGRAM NAME - B.COM.**

1	Praveen kumar rajwade	B.COM. 1	OBC
2	Sunita devi	B.COM. 1	ST
3	Vimlawati	B.COM. 1	ST
4	Purnima singh	B.COM. 1	ST
5	Geeta	B.COM. 1	OBC
6	Manisha	B.COM. 1	ST
7	Himanshu vishwakarma	B.COM. 1	OBC
8	Manisha	B.COM. 1	ST
9	Kaushal sahu	B.COM. 1	OBC

  
**PRINCIPAL**  
Govt. Naveen College  
Sonhat Korea C.G.

**LIST OF ADMITTED STUDENTS YEAR 2020-21**  
**PROGRAM NAME B.A.**

1	rajendra kumar	B.A. 1	ST
2	sukhdev	B.A. 1	ST
3	ramesh	B.A. 1	ST
4	Bhupendra pratap singh	B.A. 1	ST
5	rama rajwade	B.A. 1	OBC
6	Rupa	B.A. 1	OBC
7	durga sagar	B.A. 1	SC
8	kaushal kumar	B.A. 1	OBC
9	Dinesh kumar	B.A. 1	ST
10	vinay kumar	B.A. 1	OBC
11	sumitra	B.A. 1	ST
12	indrabhan singh	B.A. 1	ST
13	sita kunwar	B.A. 1	ST
14	ramesh kumar	B.A. 1	OBC
15	manisha singh	B.A. 1	GEN
16	pushpa	B.A. 1	OBC
17	rupendra kumar	B.A. 1	OBC
18	bhanu pratap	B.A. 1	OBC
19	Rakesh Kumar	B.A. 1	GEN
20	sulekha	B.A. 1	ST
21	manoj singh	B.A. 1	ST
22	chandrapratap singh	B.A. 1	ST
23	Satish kumar	B.A. 1	ST
24	markende singh	B.A. 1	ST

  
**PRINCIPAL**  
Govt. Naveen College  
Sonhat Korea C.G.

**LIST OF ADMITTED STUDENTS YEAR 2020-21**  
**PROGRAM NAME B.SC.**

1	Rahul Raj sonwani	B.Sc. 1	SC
2	amita sahu	B.Sc. 1	OBC
3	Priti Gupta	B.Sc. 1	GEN
4	Shivratri rajwade	B.Sc. 1	OBC
5	Bhupendra kumar	B.Sc. 1	SC
6	Archana kashi	B.Sc. 1	OBC
7	hina sonwani	B.Sc. 1	SC
8	Atul kumar singh	B.Sc. 1	ST
9	Pushkar prasad	B.Sc. 1	ST
10	savitri	B.Sc. 1	ST
11	Shubham rajwade	B.Sc. 1	OBC
12	urmila	B.Sc. 1	OBC
13	Sangeeta	B.Sc. 1	ST
14	shivshankar	B.Sc. 1	OBC
15	suneel kumar	B.Sc. 1	OBC
16	anita	B.Sc. 1	ST
17	seema	B.Sc. 1	ST
18	sudheer kumar	B.Sc. 1	ST
19	kajal	B.Sc. 1	GEN
20	Sheela	B.Sc. 1	ST
21	Mukesh Kumar	B.Sc. 1	OBC
22	Sonali sahu	B.Sc. 1	OBC
23	Jaishri	B.Sc. 1	SC
24	kavita	B.Sc. 1	ST
25	Reema singh	B.Sc. 1	ST
26	Ajay Kumar	B.Sc. 1	ST
27	seema singh	B.Sc. 1	ST
28	Sanjay	B.Sc. 1	OBC

29	sapna sahu	B.Sc. 1	OBC
30	anjana	B.Sc. 1	ST
31	Shantikala	B.Sc. 1	ST
32	Sundar lal	B.Sc. 1	GEN
33	Sunita paikra	B.Sc. 1	ST
34	urmila	B.Sc. 1	ST
35	Meerawati	B.Sc. 1	ST
36	Priyanshu Sahu	B.Sc. 1	OBC
37	shivbali singh	B.Sc. 1	ST
38	narendra kumar	B.Sc. 1	OBC
39	Tej pratap singh	B.Sc. 1	ST
40	reshma	B.Sc. 1	SC
41	Satna sahu	B.Sc. 1	OBC
42	AMAR SARTHI	B.Sc. 1	SC
43	dev kumar	B.Sc. 1	ST
44	usha	B.Sc. 1	OBC
45	Babita kumari	B.Sc. 1	ST
46	Akshay sahu	B.Sc. 1	OBC
47	Harsh kumar sahu	B.Sc. 1	OBC
48	sushant dubey	B.Sc. 1	GEN
49	Ayush Kumar Dubey	B.Sc. 1	GEN
50	ramesh kumar	B.Sc. 1	OBC
51	Khushi gupta	B.Sc. 1	GEN

  
PRINCIPAL  
Govt. Naveen College  
Sonhat Korea C.G.

**LIST OF ADMITTED STUDENTS YEAR 2020-21**  
**PROGRAM NAME B.COM.**

1	Pushpendra Kumar	B.COM. 1	OBC
2	Vijendra Kumar	B.COM. 1	ST
3	Brij kumar	B.COM. 1	ST
4	kiran paikra	B.COM. 1	ST
5	Rakesh kumar	B.COM. 1	SC

  
**PRINCIPAL**  
Govt. Naveen College  
Sonhat Korea C.G.

**LIST OF ADMITTED STUDENTS YEAR 2019-20**  
**PROGRAM NAME B.A.**

1	SANDIP KUMAR	B.A. 1	OBC
2	SHIV KUMARI	B.A. 1	ST
3	PRABHA SINGH	B.A. 1	ST
4	SEETA KUNWAR	B.A. 1	ST
5	SONA LAL	B.A. 1	OBC
6	SUDARSHAN SINGH	B.A. 1	ST
7	PRAN SINGH	B.A. 1	ST
8	KAULESHWAR	B.A. 1	OBC
9	KAJAL SAHU	B.A. 1	OBC
10	FULL SINGH	B.A. 1	ST
11	BHUNESHWAR PRASAD	B.A. 1	OBC
12	KU. SHANTI	B.A. 1	ST
13	PARMESHWARI	B.A. 1	ST
14	FULLMATI	B.A. 1	ST
15	ARADHNA	B.A. 1	ST
16	UMESH	B.A. 1	OBC
17	UPASHNA	B.A. 1	ST
18	SACHIN DEV	B.A. 1	ST
19	SUKRAWISER	B.A. 1	ST
20	KAMLESHWAR RAJWADE	B.A. 1	OBC
21	AKHLESH KUMAR	B.A. 1	OBC
22	PARMESHWARI	B.A. 1	ST
23	SUSHILA	B.A. 1	OBC
24	KAVITA	B.A. 1	OBC
25	SUSHIL KUMAR	B.A. 1	OBC
26	NARESH KUMAR	B.A. 1	GEN
27	RAMESH KUMAR	B.A. 1	OBC
28	SONAVATI	B.A. 1	OBC
29	ANTI KALA	B.A. 1	ST

30	SHRVAN KUMAR	B.A. 1	ST
31	RAHUL KUMAR	B.A. 1	GEN
32	SUNEETA	B.A. 1	OBC
33	DEVISHARAN	B.A. 1	OBC
34	POOJA	B.A. 1	OBC
35	BELAWATI	B.A. 1	OBC
36	BHUNESHWAR	B.A. 1	OBC
37	MEENA	B.A. 1	OBC
38	KU. DHANESHWARI	B.A. 1	ST
39	KU. SAVITA	B.A. 1	ST
40	AJAY SINGH	B.A. 1	ST
41	PARVATI	B.A. 1	ST
42	PUSHPA KUJUR	B.A. 1	ST
43	KU. NISHA	B.A. 1	ST
44	KU. PUSHPA	B.A. 1	ST
45	ASANEETA	B.A. 1	ST
46	KU. UMA	B.A. 1	OBC
47	HIRAMAN	B.A. 1	ST
48	SHYAM KUMARI	B.A. 1	ST
49	ISHU	B.A. 1	SC
50	SHALES	B.A. 1	ST

  
PRINCIPAL  
Govt. Naveen College  
Sonhat Korea C.G.

**LIST OF ADMITTED STUDENTS YEAR 2019-20**  
**PROGRAM NAME B.SC.**

1	SANGEETA	B.Sc. 1	ST
2	GAYTRI	B.Sc. 1	OBC
3	CHANDRA PRATAP	B.Sc. 1	OBC
4	RAGINI SINGH	B.Sc. 1	GEN
5	MANMATI	B.Sc. 1	OBC
6	BASANT SINGH	B.Sc. 1	ST
7	RUKSHANA	B.Sc. 1	OBC
8	DEERENDRA KUMAR	B.Sc. 1	GEN
9	JUGESH KUMAR	B.Sc. 1	OBC
10	SHYAM KUMAR	B.Sc. 1	OBC
11	SHIV MANGAL	B.Sc. 1	ST
12	PUSHPENDRA KUMAR	B.Sc. 1	SC
13	SHIVSHANKAR RAJWADE	B.Sc. 1	OBC
14	AAKASH KUMAR	B.Sc. 1	SC
15	AJAY KUMAR	B.Sc. 1	OBC
16	RAMESHWAR SAHU	B.Sc. 1	OBC
17	AASHIF ANSARI	B.Sc. 1	OBC
18	ANIL GUPTA	B.Sc. 1	GEN
19	PANKAJ TIWARI	B.Sc. 1	GEN
20	SANJAY KUMAR	B.Sc. 1	OBC
21	RAJ KUMAR	B.Sc. 1	OBC
22	NEERAJ KUMAR	B.Sc. 1	ST
23	RAMESHWAR PRASAD	B.Sc. 1	SC
24	MANI LAL	B.Sc. 1	ST
25	SAVITRI	B.Sc. 1	ST
26	MAHENDRA KUMAR	B.Sc. 1	OBC
27	DEVENDRA KUMAR	B.Sc. 1	OBC
28	SUKH DEV	B.Sc. 1	ST
29	RAM MANNU	B.Sc. 1	ST

30	KU. SUSHMA	B.Sc. 1	ST
31	NISHANT DUBEY	B.Sc. 1	GEN
32	KU. POOJA SONWANI	B.Sc. 1	SC
33	KU.MANISHA	B.Sc. 1	ST
34	RAMKUMAR	B.Sc. 1	GEN
35	PRAYASANI	B.Sc. 1	OBC
36	FULLMATI	B.Sc. 1	SC
37	DEVKUMARI	B.Sc. 1	ST
38	MANMATI	B.Sc. 1	ST
39	GEETA	B.Sc. 1	ST
40	DEV VRAT	B.Sc. 1	ST

<b>LIST OF ADMITTED STUDENTS YEAR 2019-20</b>			
<b>PROGRAM NAME B.COM.</b>			
1	SUNAINA	B.COM. 1	OBC
2	RAMESH RAJWADE	B.COM. 1	OBC
3	NEHA	B.COM. 1	GEN

  
**PRINCIPAL**  
 Govt. Naveen College  
 Sonhat Korea C.G.

<b>LIST OF ADMITTED STUDENTS YEAR 2018-19</b>			
<b>PROGRAM NAME B.A.</b>			
1	MANISH KUMAR	B.A. 1	OBC
2	MAHESH PRASAD	B.A. 1	OBC
3	URMILA	B.A. 1	ST
4	SONAMATI	B.A. 1	ST
5	FULL KUNWAR	B.A. 1	ST
6	RAM SURAT	B.A. 1	OBC
7	ASHOK KUMAR	B.A. 1	OBC
8	KU. RAJNI	B.A. 1	OBC
9	SANTOSHI	B.A. 1	GEN
10	SUNEETA	B.A. 1	OBC
11	AMRITA	B.A. 1	ST
12	RAJ KUMARI	B.A. 1	GEN
13	SONMATI	B.A. 1	GEN
14	ROHNI	B.A. 1	ST
15	PADMAWATI	B.A. 1	ST
16	PINKU PRASAD	B.A. 1	OBC
17	SANT KUMAR	B.A. 1	OBC
18	KU. GEETA	B.A. 1	ST
19	RAMESHWAR	B.A. 1	OBC
20	KU. PUSHPA	B.A. 1	OBC
21	RAJESH KUMAR	B.A. 1	OBC
22	ASHISH KUMAR	B.A. 1	OBC
23	MANISHA	B.A. 1	OBC
24	RUPESH KUMAR	B.A. 1	GEN
25	SHRI NARAYAN	B.A. 1	OBC
26	VIKASH KUMAR SAHU	B.A. 1	OBC
27	SANJAY SINGH	B.A. 1	ST
28	PREM WATI	B.A. 1	OBC
29	PARASNATH RAJWADE	B.A. 1	OBC
30	AJAY KUMAR	B.A. 1	GEN
31	ROSHAN SIGH	B.A. 1	ST

32	VISHNU KUMAR	B.A. 1	OBC
33	MAHENDRA KUMAR	B.A. 1	GEN
34	PRITI	B.A. 1	ST
35	MANJU	B.A. 1	OBC
36	KANGRESH SINGH	B.A. 1	ST
37	SASHI KUMARI	B.A. 1	OBC
38	JAYKARAN	B.A. 1	ST
39	SUNEETA	B.A. 1	ST
40	POONAM	B.A. 1	ST

  
PRINCIPAL  
Govt. Naveen College  
Sonhat Korea C.G.

<b>LIST OF ADMITTED STUDENTS YEAR 2018-19</b>			
<b>PROGRAM NAME B.SC.</b>			
1	ASHISH KUMAR PANDEY	B.Sc. 1	GEN
2	MANGLESHWAR	B.Sc. 1	GEN
3	HARISH KUMAR	B.Sc. 1	OBC
4	DAL PRATAP	B.Sc. 1	OBC
5	SANGEETA RAJWADE	B.Sc. 1	OBC
6	VINAY PRATAP	B.Sc. 1	OBC
7	AVANTIKA	B.Sc. 1	OBC
8	VIKALESH KUMAR	B.Sc. 1	OBC
9	KESH KUNWAR	B.Sc. 1	ST
10	PRITI SINGH	B.Sc. 1	ST
11	RAM NARESH SAHU	B.Sc. 1	OBC
12	SARDKANT	B.Sc. 1	ST
13	SANT KUMAR	B.Sc. 1	ST
14	LAXMAN KUMAR	B.Sc. 1	GEN
15	INDRAWATI	B.Sc. 1	OBC
16	CHANDNI	B.Sc. 1	ST
17	MAHIAMA PANDEY	B.Sc. 1	GEN
18	KISMAT LAL	B.Sc. 1	OBC
19	RAJESH KUMAR	B.Sc. 1	ST
20	RAMESH KUMAR	B.Sc. 1	OBC
21	SUREK LAL	B.Sc. 1	ST
22	PARAS NATH	B.Sc. 1	OBC
23	KAUSHILAYA	B.Sc. 1	OBC
24	KALESHWARI	B.Sc. 1	ST
25	BHUNESHWAR	B.Sc. 1	OBC
26	JAI SINGH	B.Sc. 1	ST
27	SAVITA	B.Sc. 1	ST
28	PRAVIN KUMAR	B.Sc. 1	ST
29	AVIKA SONI	B.Sc. 1	OBC
30	VIKASH KUMAR	B.Sc. 1	ST
31	SILPI	B.Sc. 1	OBC

32	SUMITRA	B.Sc. 1	ST
33	ASHISH KUMAR	B.Sc. 1	OBC
34	SUNAINA	B.Sc. 1	ST
35	MANJU	B.Sc. 1	ST
36	PRIYANKA	B.Sc. 1	ST
37	VIKESH KUMAR	B.Sc. 1	OBC
38	RAJENDRA KUMAR	B.Sc. 1	OBC
39	ASHMAN GIRI	B.Sc. 1	OBC
40	MAHENDRA KUMAR	B.Sc. 1	OBC
41	GEETA	B.Sc. 1	GEN
42	AKHIL KUMAR	B.Sc. 1	OBC
43	TASHU	B.Sc. 1	ST
44	NILESH KUMAR	B.Sc. 1	GEN
45	SURENDRA KUMAR	B.Sc. 1	ST
46	RAJESH PURI	B.Sc. 1	OBC
47	RANU	B.Sc. 1	OBC
48	POOJA SAHU	B.Sc. 1	OBC
49	SIYA RAM	B.Sc. 1	ST

<b>LIST OF ADMITTED STUDENTS YEAR 2018-19</b>			
<b>PROGRAM NAME B.COM.</b>			
1	SWATI GURJAR	B.COM. 1	OBC
2	RISHAB KUMAR PANDEY	B.COM. 1	GEN
3	ANIKET DWIVEDI	B.COM. 1	GEN
4	KU. MAYAWATI	B.COM. 1	GEN
5	KHUSHBOO	B.COM. 1	ST

  
**PRINCIPAL**  
 Govt. Naveen College  
 Sonhat Korea C.G.

<b>LIST OF ADMITTED STUDENTS YEAR 2017-18</b>			
<b>PROGRAM NAME B.A.</b>			
1	FUL KUNWAR	B.A. 1	ST
2	SHIV KUMARI	B.A. 1	ST
3	RAMBAI	B.A. 1	OBC
4	MUSTKINA	B.A. 1	OBC
5	KU. SANGEETA	B.A. 1	ST
6	SHIV KUMAR	B.A. 1	OBC
7	LALITA	B.A. 1	OBC
8	KIRAN BAI	B.A. 1	ST
9	RAJESH KUMAR	B.A. 1	OBC
10	SHEETALA PRASAD	B.A. 1	OBC
11	GULAAB SINGH	B.A. 1	ST
12	LALAN SINGH	B.A. 1	ST
13	GANGA RAM	B.A. 1	ST
14	MANOJ KUMAR	B.A. 1	OBC
15	SUNIL KUMAR	B.A. 1	OBC
16	NEERAJ PAIKRA	B.A. 1	ST
17	SAHODAR	B.A. 1	OBC
18	MAHESHWAR PRASAD	B.A. 1	ST
19	ANJULA	B.A. 1	ST
20	MONIKA	B.A. 1	OBC
21	SONI	B.A. 1	OBC
22	PUSHPLATA	B.A. 1	ST
23	POONAM	B.A. 1	SC
24	AARTI	B.A. 1	SC
25	LALIT KUMAR	B.A. 1	SC
26	SHANKAR SINGH	B.A. 1	ST
27	SANDEEP KUMAR	B.A. 1	OBC
28	ASHOK KUMAR SAHU	B.A. 1	OBC
29	MANOJ KUMAR	B.A. 1	ST
30	SULEKHA	B.A. 1	ST
31	SURAJ LAL	B.A. 1	OBC

32	SACHINDRA KUMAR JAISWAL	B.A. 1	OBC
33	RAJESH KUMAR SAHU	B.A. 1	OBC
34	SANJANA SAHU	B.A. 1	OBC
35	UTTRA KUMARI	B.A. 1	ST
36	KAILASH KUMAR	B.A. 1	OBC
37	DEVI KUMARI	B.A. 1	ST
38	JITENDRA KUMAR	B.A. 1	OBC
39	KRISHNA KUMAR	B.A. 1	OBC
40	RAJKUMAR	B.A. 1	OBC
41	DAKUN KUMAR	B.A. 1	OBC
42	RAM RASILE	B.A. 1	OBC
43	NEERAJ KUMAR	B.A. 1	OBC
44	VISHAL KUMAR	B.A. 1	OBC
45	DEVIDHYAAL	B.A. 1	SC
46	DURGESHWAR	B.A. 1	SC
47	ANITA SAHU	B.A. 1	OBC
48	AGESHWAR	B.A. 1	OBC
49	AJAY KUMAR	B.A. 1	ST
50	VIJAY PRATAP	B.A. 1	OBC
51	ASHOK KUMAR	B.A. 1	OBC
52	JANTRI KUMAR	B.A. 1	OBC
53	HANUMAN SINGH	B.A. 1	ST
54	JYOTISH PRATAP	B.A. 1	OBC
55	ASHISH KUMAR	B.A. 1	OBC
56	DULESHWARI	B.A. 1	ST

  
**PRINCIPAL**  
 Govt. Naveen College  
 Sonhat Korea C.G.

<b>LIST OF ADMITTED STUDENTS YEAR 2017-18</b>			
<b>PROGRAM NAME B.SC.</b>			
1	MANGLESHWAR	B.Sc. 1	ST
2	VINAY PRATAP	B.Sc. 1	OBC
3	KULDEEP CHANDRA	B.Sc. 1	OBC
4	ROSHAN LAL	B.Sc. 1	OBC
5	SANDHYAWATI	B.Sc. 1	OBC
6	TULSIWATI	B.Sc. 1	OBC
7	JYOTI	B.Sc. 1	OBC
8	SONAM SINGH	B.Sc. 1	ST
9	MADHU YADAV	B.Sc. 1	OBC
10	SUSHMA	B.Sc. 1	OBC
11	PRATIMA	B.Sc. 1	OBC
12	MAHIMA	B.Sc. 1	OBC
13	ASHISH KUMAR	B.Sc. 1	OBC
14	SUMITRA	B.Sc. 1	ST
15	AKHILESH KUMAR	B.Sc. 1	OBC
16	PUSPRAAJ	B.Sc. 1	OBC
17	DAL PRATAP	B.Sc. 1	OBC
18	KU. SARITA	B.Sc. 1	ST
19	BUDH RAJ	B.Sc. 1	ST
20	ANIL KUMAR	B.Sc. 1	ST
21	KAJOL	B.Sc. 1	ST
22	ANITA	B.Sc. 1	ST
23	CHHAVINDRA KUMAR	B.Sc. 1	ST
24	ARADHANA GIRI	B.Sc. 1	OBC
25	ASHMAN GIRI	B.Sc. 1	OBC
26	AMARNATH RAJWADE	B.Sc. 1	OBC
27	NILESH KUMAR	B.Sc. 1	ST
28	VICKY KAPUR	B.Sc. 1	SC
29	AASTIN DEVA	B.Sc. 1	OBC
30	RAHUL KUAMR SAHU	B.Sc. 1	OBC
31	VIKASH KUMAR SAHU	B.Sc. 1	OBC

32	SHIV CHARAN	B.Sc. 1	OBC
33	VIDYA SAGAR	B.Sc. 1	SC
34	INDRAWATI	B.Sc. 1	ST
35	JAY KUMAR	B.Sc. 1	OBC
36	DHEERAJ KUMAR	B.Sc. 1	ST
37	MAHARANA PRATAP	B.Sc. 1	OBC
38	RAMESH KUMAR	B.Sc. 1	OBC
39	RAJESH KUMAR	B.Sc. 1	OBC

<b>LIST OF ADMITTED STUDENTS YEAR 2017-18</b>			
<b>PROGRAM NAME B.COM.</b>			
1	SABNAM	B.COM. 1	OBC
2	SURESH KUMAR RAJWADE	B.COM. 1	OBC
3	RAMSURAT	B.COM. 1	OBC
4	ANNU KUMARI	B.COM. 1	ST

  
**PRINCIPAL**  
 Govt. Naveen College  
 Sonhat Korea C.G.